संख्या-14/2020/321/71-2-20-पी-38/2017

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,

प्रमुखसचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

एस0जी0पी0जी0आई0,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 06 फरवरी, 2020

विषयः- संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के संकाय सदस्यों को एम्स, नई दिल्ली के संकाय सदस्यों की भॉति पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/निदेशक/कैम्प/924/2018, दिनांक 24-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा एम्स, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-F.14-3/69(99)-Estt-I दिनांक 19-09-2018 के अनुसार संस्थान के संकाय सदस्यों को पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-832/71-2-18-पी-38/2017, दिनांक 27 मार्च, 2018 द्वारा संस्थान के संकाय सदस्यों एवं रेजीडेन्ट डाक्टर्स को एम्स, नई दिल्ली के समतुल्य 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

3- इस संबंध में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्रांक-v-16020/28/2017-INI-I (Pt.) दिनांक 23-08-2018 एवं एम्स, नई दिल्ली के मेमोरेण्डम संख्या- F.14-3/69(99)-Estt-I दिनांक 19-09-2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान के संकाय सदस्यों को एम्स, नई दिल्ली के संकाय सदस्यों के समान पुनरीक्षित वेतनमान एतदद्वारा दिये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- संस्थान के संकाय सदस्यों के वेतन निर्धारण हेतु नान प्रैक्टिसिंग भत्ता (NPA), भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या-512, दिनांक 25-07-2016, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) तथा एम्स, नई दिल्ली के संकाय सदस्यों को अनुमन्य वेतन निर्धारण की भॉति निर्धारित किया जायेगा।

5- उक्त वेतनमान का पुनरीक्षण एवं वेतन निर्धारण की प्रक्रिया एम्स, नई दिल्ली से समतुल्यता के आधार पर किया गया है। तदनुसार निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0/वित्त नियंत्रक द्वारा संस्थान के संकाय सदस्यों को ऐसी कोई सुविधा अनुमन्य नहीं की जायेगी, जो एम्स, नई दिल्ली में अनुमन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

न हो। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर त्वरित रूप से शासन के संज्ञान में लाया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-60/दस-2020, दिनांक 16 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-14/2020/321(1)/71-2-20-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथ/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्टरेट, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।